बीकानेर हाउस परिसर में राजस्थान उत्सव का उद्घाटन किया सी.एम.ने

नई दिल्ली/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित नौ दिवसीय राजस्थान उत्सव-2025 एवं राजीविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, सांसद सी.पी.जोशी, पी.पी.चौधरी, मदन राठौड़ सहित राजस्थान के एक दर्जन से अधिक सांसद मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में दीप प्रज्वलित कर राजस्थान उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मौजूद थे।

कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री ने गणेश जी की प्रतिमा की आराधना कर दीप प्रज्वलित करके राजस्थान उत्सव 2025 का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उत्सव में राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए लोक एवं हस्तकलाकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कलाकारों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान स्थापना दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत हाथों से ही राजस्थान की नींव रखी गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान एक विकसित और समृद्ध राज्य के रूप में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि नौ दिवसीय इस राजस्थान उत्सव का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों से पधारे लोगों को राजस्थान की संस्कृति, लोक कला और खानपान से अवगत करवाना है।

इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के लोक कलाकारों ने अपनी कला और नृत्य से समां बांधा। इस संध्या की शुरूआत भरतपुर से आए नवीन शर्मा और उनके कलाकारों ने 'गणेश वंदना' से की। इसके उपरांत उन्हीं के द्वारा मयूर नृत्य और प्रसिद्ध फूलों की होली की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखकर उपस्थित सभी गणमान्यों ने करतल ध्वनि से कलाकारों का अभिवादन किया।

सांस्कृतिक संध्या में भरतपुर के अवधेश कुमार द्वारा चरकुला नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके अतिरिक्त डीग से आए कफरूद्दीन मेवाती द्वारा भपंग वादन और सूरतगढ से आए अर्जुन सिंह जुलिया द्वारा मषक वादन की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में अनीसुदीन एवं उनके दल द्वारा चरी नृत्य तथा कल्पना चौहान द्वारा प्रदेश के प्रसिद्ध घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी गई।

इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य आवासीय आयुक्त सुधांश पंत, प्रमुख आवासीय आयुक्त आलोक सहित राज्य सरकार के दिल्ली स्थित कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

मिराज समूह के पालीवाल को कोर्ट से मिली विदेश जाने की मंजूरी

जयपुर। जयपुर मेट्रो, द्वितीय की आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट ने दो हजार करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़े मामले में मिराज समूह के मदनलाल पालीवाल को 27 मार्च से 8 अप्रैल तक विदेश यात्रा पर जाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश पालीवाल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने प्रार्थी को कहा है कि वह विदेश यात्रा के दौरान अपने निवास का पता बताएगा। इसके साथ ही मोबाइल नंबर व ईमेल कोर्ट में पेश करेगा और विदेश से वापस आने के सात दिन में उपस्थिति भी दर्ज कराएगा।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि अर्जेन्टीना में 27 मार्च से 8 अप्रैल तक होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में मुरारी बापू की कथा आयोजित हो रही है। इस धार्मिक कार्यक्रम में प्रार्थी भी हिस्सा लेना चाहता है। इसके लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी जरूरी है। इस संबंध में कोर्ट उस पर कोई भी शर्त लगाएगा वह उसे पूरा करेगा। वहीं यह भी अंडरटेकिंग देता है कि कोर्ट की न्यायिक कार्रवाई में प्रार्थी पूरा सहयोग करेगा।

भंडार निगम के 21 कार्मिकों को पदोन्नति

जयपुर। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों पर कुल 21 कार्मिकों की वर्ष 2023-24 और 2024-25 की विभागीय पदोन्नति की गई। गौरतलब है कि यह पदोन्नति विगत दो वर्ष से लंबित थी।

गौधन संरक्षण के साथ रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा दें : राज्यपाल

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को जयपुर में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद् द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किसान एवं गौपालक सम्मेलन से पहले गौ पूजन किया और गाय को हरा चारा खिलाया।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत भूमि अन्नपूर्णा है। उन्होंने कहा कि फसल की वृद्धि एवं उससे उत्पादन लेने के लिए जो तत्व चाहिए वे सब भूमि में मौजूद हैं। उन्होंने गाय के गोबर का खाद के रूप में उपयोग कर रसायन मुक्त कृषि पद्धित को बढ़ावा देने का आव्हान किया। उन्होंने राजस्थान में देशी गाय के उपलब्ध दूध को महत्वपूर्ण बताया तथा गौ धन संरक्षण के लिए गौ शालाओं और अन्य किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की।

बागडे बुधवार को जयपुर में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद् द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किसान एवं गौपालक सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्र स्तरीय कृषि स्टार्टअप मेले के रूप में आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहन देने, किसानों के उत्पादों के प्रमाणन और ब्रांडिंग के लिए भी कार्य करने का आव्हान किया।

उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने और किसान की बाजार पर निर्भरता को खत्म कर उन्हें लाभान्वित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने गाय को कामधेनु बताते हुए कहा कि मनुष्य के पोषण का बड़ा आधार गाय है। उन्होंने गाय, किसान और प्रकृति संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता जताई।

राज्यपाल ने सभी स्थानों पर गौ पालन, औषधीय पौधों, सरकार की योजनाओं से किसानों को मिलने वाले लाभों, स्टार्टअप किसान हित में निवेशकों के सम्मेलन आदि की पहल करने पर जोर दिया। सम्मेलन में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के प्रो. बलराज सिंह, अतुल गुप्ता, पवन अरोड़ा आदि ने भी गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिए जाने की बात कही।

राज्यपाल बागडे ने इससे पहले गौ पूजन किया और गाय को हरा चारा खिलाया। उन्होंने किसान मेले के विभिन्न स्टालों का भी अवलोकन किया।

जयपुर मिलिट्री स्टेशन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

- एक हजार करोड़ रुपए की जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने झोटवाडा इलाके में साल 1950 में रक्षा विभाग को दी करीब एक हजार करोड रुपए की 260 बीघा जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जयपुर मिलिट्री स्टेशन को बडी राहत दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में अतिक्रमियों के पक्ष में राजस्व अदालत की ओर से दिए आदेशों और एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना की राजस्व अदालतों ने बिना क्षेत्राधिकार आदेश पारित किए थे। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश भारत सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिए।

अपील में केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी व अधिवक्ता चन्द्रशेखर शर्मा ने बताया कि 1950 में रक्षा विभाग को तत्कालीन जयपुर रियासत की फौज राजपुराना लांसर की करीब 3600 बीघा जमीन हस्तांतरित की गई थी। यह जमीन मिलिट्री के रिकार्ड में भी दर्ज हो गई और इसका कब्जा लेने के दस्तावेज भी मिलिट्री के पक्ष में तैयार हो गए। वहीं इस जमीन में से 260 बीघा जमीन पर खातीपुरा व जगन्नाथपुरा के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इस दौरान रक्षा संपदा अधिकारी, जयपुर ने अतिक्रमियों को जमीन खाली करने के लिए कई नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर साल 1972 में उन्हें बेदखल करने का आदेश दिया और 28 दिसंबर 1972 को मिलिट्री ने जमीन का कब्जा भी ले लिया। अतिक्रमियों ने इस आदेश की अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष नहीं कर इसे एसडीएम जयपुर के यहां चुनौती दी। राजस्व न्यायालय को इस दावे को सुनने का अधिकार नहीं होते हुए भी सुनवाई कर अतिक्रमियों के पक्ष में दावा मंजूर किया। मिलिट्री ने इसे अपीलीय अधिकारी, राजस्व बोर्ड व हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

इस पर खंडपीठ में अपील पेश की गई। खंडपीठ के समक्ष मिलिट्री का कहना था कि मिलिस्ट्री से संबंधित भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में दावा पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए राजस्व अदालतों के आदेश को निरस्त कर अतिक्रमियों को बेदखल किया जाए और जमीन का कब्जा उन्हें दिलवाया जाए।

खादी आयोग पर लगाया दो लाख का हर्जाना

जयपुर। हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमितिकरण को निरस्त करने पर खादी ग्रामोद्योग आयोग और कुमारप्पा हैंडमेड पेपर इंस्टिट्यूट पर दो लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को नियमित सेवा में लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि तीन माह में आदेश की पालना नहीं की जाती तो संबंधित अधिकारी से यह राशि छह फीसदी ब्याज सहित वसूल की जाएगी। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश इंस्टिट्यूट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को 1992 में दैनिक वेतनभोगी के तौर पर लगाया गया था। वहीं साल 1994 में उसे बर्खास्त कर दिया। इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए लेबर कोर्ट ने साल 2005 में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया। याचिका में कहा कि उसे नियुक्ति देकर साल 2006 में फिर से बर्खास्त कर दिया। इसके खिलाफ दायर याचिका को लेबर कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के दखल के बाद उसे साल 2016 में नियमित किया गया, लेकिन बाद में बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता की शैक्षिणक योग्यता नियमों के तहत नहीं है।

आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी तलब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीमाधोपुर नगर पालिका इलाके में आम रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को 2 मई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने एसडीओ को कहा है कि वह प्रकरण की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करे। वहीं अदालत ने एसडीओ को कहा है कि वे ईटीएस मशीन से रोड की माप कि माप करवाकर सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को हटाकर मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश करें। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश रामसिंह व अन्य की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिया।

राष्ट्रीय युवा संसद में तीन युवाओं का चयन

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को यहां विधान सभा में विकसित भारत युवा संसद में राष्ट्रीय स्तर के लिये चयनित तीन युवाओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। देवनानी ने तीनों चयनित युवतियों को बधाई एवं शुभकामनायें दी। विधान सभा अध्यक्ष ने विकसित भारत युवा संसद में भाग लेने आये प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं को भी निरंतर मेहनत करने के लिये कहा। विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने जयपुर से हर्षिता शर्मा को प्रथम, बीकानेर से मनीषा जोशी को द्वितीय और अलवर से रिंकी खातून को तीसरे स्थान पर चयन के लिये सम्मानित किया।

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के सभी जिलों से 18 से 25 वर्ष के 140 युवाओं का चयन किया गया। विधान सभा सदन में बुधवार को दिनभर हुई चर्चा में प्रत्येक युवा ने संविधान के 75 वर्ष पर तीन मिनट में अपने विचार व्यक्त किये। 140 युवाओं में से तीन युवाओं का चयन विधायक डॉ कैलाश वर्मा, डॉ. शिखा बराला और मनीष यादव ने किया। ये चयनित युवा राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेंगे। युवा संसद की कार्यवाही राजस्थान विधान सभा के सदन में प्रात: 10 बजे से सायं 7.30 बजे तक चली।

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने प्रदेश भर से युवा संसद में भाग लेने आये युवाओं के साथ विधान सभा के मुख्य द्वार के समीप समूह चित्र भी कराया।

सेंट्रल स्पाइन जगतपुरा के दो भूखंडों की नीलामी से रोक हटी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को राहत देते हुए जगतपुरा के सेंट्रल स्पाइन स्कीम में दो कॉमर्शियल भूखंडों की नीलामी पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटा लिया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामदयाल गुप्ता की याचिका में जेडीए की ओर से स्टे हटाने के लिए पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद 2306 वर्गमीटर के भूखंड की बुधवार और 8570 वर्गमीटर के भूखंड की 28 मार्च को होने वाली नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। इन दोनों भूखंडों की नीलामी पर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को रोक लगाई थी।

जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की अवाप्त जमीन सी ब्लॉक में थी और नीलाम होने वाले भूखंड ए ब्लॉक के हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता की जमीन अवाप्ति के बदले उसे बीस फीसदी विकसित जमीन के तहत 4455 वर्गमीटर के दस भूखंड दे चुके हैं। इनमें से चार भूखंडों की जमीन विवादित होने व कोर्ट स्टे होने के चलते उसे कब्जा नहीं दे पाए हैं। वहीं जेडीए उसे जल्द ही कॉमर्शियल जमीन भी मुहैया करा देगा। इसलिए दोनों भूखंडों की नीलामी पर लगी रोक हटाई जाए। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे अवाप्त जमीन के बदले पांच फीसदी कॉमर्शियल जमीन नहीं दी है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों भूखंडों की नीलामी पर लगी रोक हटा दी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने जमीन अवाप्ति के तहत 6 जून 2003 को अपनी जमीन जेडीए में सरेंडर की थी, लेकिन उसे इसके बदले 5 प्रतिशत कॉमर्शियल जमीन नहीं दी है। इसके अलावा मुआवजे के तौर पर दिए दस भूखंडों में से चार का कब्जा नहीं दिया है। इसलिए भूखंडों की नीलामी पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों दोनों भूखंडों की नीलामी पर रोक लगा दी थी।